संख्या- 23 /2026/001-433-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या- 60 के अन्तर्गत ईको पर्यटन का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ,योजना एवं कृषि वानिकी उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-646/36-बी-8(ईको), दिनांक 10.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान संख्या-60 में **ईको पर्यटन का विकास** योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित की गयी धनराशि रू०1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि **रू० 450.72 लाख (रू० चार करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें-

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्यवता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. योजनान्तार्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
3. योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक योजना एवं कृषि वानिकी, उ०प्र० के पत्र दिनांक 24..01.2026 एवं पत्र दिनांक 10.03.2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
6. इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वगयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति/स्थलीय निरीक्षण (भौतिक सत्यापन) रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकताऐं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगें।
10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्यमद में किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्याक्ष, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-2031/2025 दिनांक 27.03.2025 में निहित दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. विषयगत योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2026 को सम्पन्न अप्रेजल समिति की बैठक में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय
लेखाशीर्ष: 4406018001200 (ईको पर्यटन का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,98,75,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	25 लघु निर्माण कार्य	36,87,000 (रुपये छत्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र)
3	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	34,00,000 (रुपये चौंतीस लाख मात्र)
4	060	4406018001200 ईको पर्यटन का विकास	42 अन्य व्यय	81,10,000 (रुपये इक्यासी लाख दस हजार मात्र)
	कुल			**4,50,72,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	4,50,72,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

संख्या- 23(1) /2026/001-433-81-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।